


75

## व्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर बृत्त रीवा (मोप्र०)



R 5214517

छेदी लाल गुप्ता तनय स्व०श्री गयादीन गुप्ता निवासी ग्राम  
अमिरती, पो० मनगंवा, तहसील मनगंवा, जिला रीवा मोप्र०

अधिकारी विषयक अपील  
दाता चेता | 22-५-१७

.....निगरानीकर्ता/ आवेदक

बनाम

स्वामी श्री हरिदास जी शिष्य श्रीमान् 1008 श्रीस्वामी रामहर्षण दास जी  
महाराज द्वारा मुख्तारआम श्री शंकर प्रसाद मिश्रा पिता स्व०श्री रामकुमार  
मिश्रा निवासी खीरा हाउस फोर्ट रोड रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा  
मोप्र०

.....गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

व्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी तहसील  
मनगंवा जिला रीवा मोप्र० द्वारा प्रकरण  
क्रमांक 8336/अपील/15-16 स्वामीश्री  
हरिदास जी बनाम छेदी लाल गुप्ता मे पारित  
आदेश दिनांक 27.4.017 के बिल्लद्वंद्व निगरानी  
अन्तर्गत धारा 50 मोप्र०भू०राजस्व संहिता

महोदय,

### निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः-

गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक ने अधीनस्थ व्यायालय ने  
आवेदक के बिल्लद्वंद्व एक अपील प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है  
कि तहसील व्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष मे किये गये नामान्तरण  
आदेश दिनांक 25.4.013 को निरस्त किया जाय, साथ ही उस अपील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R52145-II/17

जिला-शीता

पक्षकार का नाम द्वे दीलाल गुटा—स्वास्थी हरियाल

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2—आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3—आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> 	